न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल

अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 1944–तीन/2011 विरूद्ध आदेश दिनांक 22–7–2011 पारित द्वारा आयुक्त नर्मदापुरम् संभाग होशंगाबाद, प्रकरण कमांक 1/निगरानी/2005–06.

—

प्रेमीलाल वल्द लक्ष्मण जायसवाल
निवासी गूजरवाडा तहसील बाबई
जिला होशंगाबाद म0प्र0

.....आवेदक

विरूद्ध

1–राजेश कुमार आ. महावीर जायसवाल
निवासी ग्राम पथरोटा तहसील इटारसी जिला होशंगाबाद
2–मध्यप्रदेश शासन

.....अनावेदकगण

श्री दिवाकर दीक्षित, अभिभाषक, आवेदक
श्री राजेश जायसवाल, स्वयं, अनावेदक कमांक 1
श्री बी0एन0त्यागी, अभिभाषक, अनावेदक कमांक 2

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 9/6/18 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत आयुक्त नर्मदापुरम् संभाग होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश 22–7–2011 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि कलेक्टर जिला होशंगाबाद द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के प्रकरण कमांक 17/अ–6/1988–99 में पारित आदेश दिनांक 10–7–2000 को स्वप्रेरणा से निगरानी में लिया जाकर प्रकरण अपर कलेक्टर को निराकरण हेतु भेजा गया । अपर कलेक्टर द्वारा प्रकरण कमांक 26/अ–6/2003704 दर्ज कर दिनांक 17–8–2005 को आदेश पारित कर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक 10–7–2000 निरस्त किया जाकर तहसीलदार बाबई द्वारा पारित आदेश दिनांक 23–11–1996 स्थिर रखा गया, साथ ही यह भी आदेशित किया गया कि प्रश्नाधीन खसरा

वर्ष 1987–88 में की गई त्रुटि को नियमानुसार सुधारा जाकर पूर्व के समस्त हितबद्ध भूमिस्वामियों के नाम इंद्राज किये जायें । अपर कलेक्टर के आदेश से व्यथित होकर आवेदक द्वारा निगरानी आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर आयुक्त द्वारा दिनांक 22–7–2011 को आदेश पारित कर अपर कलेक्टर का आदेश स्थिर रखते हुये निगरानी निरस्त की गई । आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा 10 दिवस में लिखित तर्क प्रस्तुत किये जाने थे, परन्तु उनके द्वारा आज दिनांक तक लिखित तर्क प्रस्तुत नहीं किये गये हैं । अतः प्रकरण में निगरानी मेमों में उल्लिखित आधारों व अनावेदक के द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया जा रहा है । आवेदक की ओर से निगरानी मेमों में निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) आयुक्त द्वारा आदेश पारित करने में अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का अवलोकन नहीं किया गया है और न ही आवेदक को सुनवाई का अवसर दिया गया है, इसलिये आयुक्त का आदेश निरस्त किये जाने योग्य है ।

(2) अपर कलेक्टर द्वारा इस वैधानिक स्थिति पर विचार नहीं किया गया है कि अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अनावेदक कमांक 1 उपस्थित रहा है, इसलिये अनुविभागीय अधिकारी के आदेश की जानकारी उसे प्रारंभ से ही थी । इसके अतिरिक्त यदि अनावेदक अनुविभागीय अधिकारी के आदेश से व्यथित था तो उसे अपर आयुक्त के समक्ष द्वितीय अपील करना चाहिये थी, परन्तु उसके द्वारा समय सीमा में अपील प्रस्तुत नहीं कर अनेक वर्षो बाद योजनाबद्ध तरीके से कलेक्टर से मिलकर स्वप्रेरणा से निगरानी की कार्यवाही कराई गई है, जो कि निरस्त किये जाने योग्य है ।

(3) आयुक्त को भी इस बिन्दु पर विचार करना था कि अपील योग्य आदेश को स्वप्रेरणा से निगरानी में लेकर कार्यवाही करने में अपर कलेक्टर द्वारा क्षेत्राधिकार रहित कार्यवाही की गई है । अपर कलेक्टर को इस बिन्दु पर विधिवत् जॉच करना थी कि वर्ष 1996 से आवेदक का नाम चला आ रहा है, अतः उन्हें नोटिस जारी कर जबाव लेना आवश्यक था । उनके द्वारा अपर कलेक्टर का एवं आयुक्त का आदेश निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदक कमांक 1 के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि चूँकि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश पूर्णतः अवैधानिक एवं क्षेत्राधिकार रहित आदेश था, अतः उसे स्वप्रेरणा से निगरानी में लेकर निरस्त करने में अपर कलेक्टर द्वारा वैधानिक एवं उचित कार्यवाही की गई है और अपर कलेक्टर के आदेश की पुष्टि करने में आयुक्त द्वारा भी किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की गई है । उनके द्वारा निगरानी निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया है ।

5/ अनावेदक कमांक 2 के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से केवल यही तर्क प्रस्तुत किया गया कि अपर कलेक्टर द्वारा एवं आयुक्त द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं उचित होने से स्थिर रखे जाने योग्य हे ।

6/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्को के सन्दर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि वर्ष 1987–88 में खसरे में प्रविष्टि दर्ज करते समय त्रुटिपूर्ण पूर्वक मृतक भूमिस्वामी के कुछ वारिसों के नाम छोड़ दिये गये हैं, ऐसी स्थिति में अपर कलेक्टर द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के प्रकरण कमांक 17/अ–6/1988–89 में पारित आदेश दिनांक 10–7–2007 को स्वप्रेरणा से निगरानी में लेकर निरस्त करने में विधिसंगत एवं न्यायपूर्ण कार्यवाही की गई है । अपर कलेक्टर द्वारा यह निर्देश देने में पूर्णतः न्यायसंगत कार्यवाही की गई है कि खसरा 1987–88 में की गई त्रुटि को नियमानुसार सुधारा जाकर सभी हितबद्ध भूमिस्वामियों के नाम दर्ज किये जाये । इस प्रकार अपर कलेक्टर द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं उचित आदेश होने से उसकी पुष्टि करने में आयुक्त द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई है, इसलिये आयुक्त का आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है ।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर आयुक्त नर्मदापुरम् संभाग होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश 22–7–2011 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर.